

15/01 25 पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी मय
अधिवक्ता अनुपस्थित ही वादी मय अधिवक्ता
को सुनवाई के कई अवसर दिये। आगे
के वावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित ही
गए 6 तारीख पेशी पर भी उपस्थित नहीं

म

हुकम या कार्यवा इ
इही मय इनिशियल्स जज
डावा

गणपत बनान रामलाल

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

आये हैं। वादी एवं वादी अधिवक्ता जो
न्यायालय में काट-काट कर-करकर
आवाज दिलाई गई, परन्तु न्यायालय
समय तक कोई भी उपायित नहीं आये।
अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण
मिसल सुमा (लोक नम्बर से कम हो तथा
कानून दारखिल हो।

Admin in default
under CPC order 9
rule 3

उपखण्ड अधिकारी
मैथिल